समक्ष मान्य. न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश ग्वालियर, कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र0 /निगरानी/14–15

1– अभय अग्रवाल आ0 श्री सत्येन्द्र अग्रवाल
2– श्रीमती अर्चना तिवारी पत्नी श्री विवेक तिवारी
निवासीगण– ई–7, अरेरा कालोनी, भोपाल।

..... निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1– श्री संजय प्रकाश आ0 स्व0 श्री शांतिप्रकाश
निवासी– 20– कोलवर्त, होबोकेम रोड,डायमण्ड टॉवर, कलकत्ता(कोलकाता)–88
2– श्री बी.के. चतुर्वेदी आ0 श्री चम्पालाल
3– संध्या चतुर्वेदी पुत्री श्री बी.के.चतुर्वेदी
4– श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री बी.के.चतुर्वेदी
5– श्री यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी आ0 श्री चम्पालाल चतुर्वेदी
निवासीगण– 111,साऊथ एवेन्यू कलकत्ता (कोलकाता)– 29
अनावेदक क्र0 2 से 5 – द्वारा मुख्त्यार आम
(1)श्री सौरभ जैन आ0 श्री जैनपाल जैन निवासी कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल
(2)श्री आलोक अग्रवाल आ0 श्री प्रेमनारायण अग्रवाल निवासी– ई–7 अरेरा कालोनी भोपाल

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959

निगरानीकर्तागण माननीय न्यायालय अपर आयुक्त,भोपाल सम्भाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 306/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 7.7.2015 (न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी,तह. इछावर जिला सीहोर के प्र0क्र0 18/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 8.4.2013 एवं ग्राम रामगढ़ प.ह.नं. 23 तह0 इछावर जिला सीहोर की नामांतरण पंजी क्र0 1/72 में पारित आदेश दिनांक 8.2.2009 से उद्भुत है) से व्यथित होकर जानकारी दिनांक से समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं।

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि निगरानीकर्ता क्र0 1 ने अना0 क्र0 2 से 4 भूमिस्वामीगण के मुख्त्यार–ए–आम श्री सौरभ जैन आ0 श्री जैनपाल जैन निवासी कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल एवं श्री आलोक अग्रवाल आ0 श्री प्रेमनारायण अग्रवाल निवासी– ई–7 अरेरा कालोनी भोपाल, से उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम रामगढ़,पटवारी हल्का नं0 23, तहसील इछावर जिला सीहोर (म0प्र0) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 100 रकबा 23.188 हे0 अर्थात 57.30 एकड़ में से ख0क्र0 100 में से रकबा 16.188 हे0 अर्थात 40.00 एकड़ दिनांक 25.8.2008 को क्रय कर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार निगरानीकर्ता क्र0 2 ने उक्त अनावेदक क्र0 2 से 5 के उक्त मुख्त्यारगण से ख0 क्र0 100 23.188 हे0 में से रकबा 7.001 हे0 अर्थात 17.30 ए0 रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.8.2008 से क्रय कर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त कर लिया है।

निरंतर पृ.क्र. 2.....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 3426/PBR/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-12-15	1. मेरे द्वारा प्रकरण में निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता एवं स्थगन पर तर्क सुने गए एवं उपलब्ध अभिलेखों एवं छायाप्रतियों का अध्ययन किया गया।	
	2. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्याया. अपर आयुक्त में दि. 2.3.15 को पहले अगली पेशी हेतु दि. 10.8.15 नियत हुई थी, जिसे आवेदक ने नोट किया था। साथ ही अनावेदक ने अगली पेशी 18.3.15 नोट की थी। बाद में इसी दि. 2.3.15 को पुनःश्च नोटिंग करके अगली पेशी 20.4.15 लिख दी गई, जहाँ किसी पक्षकार / अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं हुए। दि. 20.4.15 की नोटिंग में दिनांक का उपरलेखन (overwriting) है। तदुपरान्त दि. 7.7.15 को प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया, जबकि निगरानीकार को दि. 2.3.15 से अगली पेशी हेतु दि. 10.8.15 ही नोट रही।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	ऐसे में वर्ष 2009 से अभी तक स्वत्व एवं कब्जे के बावजूद, आवेदक निगराकार का नामान्तरण (तहसीलदार द्वारा) निरस्त कर दिए जाने से आवेदक को क्षति हुई है, जिसे SDO ने भी नहीं सुना, एवं अपर आयुक्त ने भी उन्हें मौका नहीं दिया।	
3.	उपरोक्त पैरा -2 के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि अपर आयुक्त न्यायालय की आदेश अनुवर्तन पत्रिका की छायाप्रतियों में यह स्पष्ट है कि दि 2.3.15 को उनके न्यायालय मे निगराकार को अगली पेशी दि. 10.8.15 नोट पहले कराई गई थी, और बाद में, आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताए अनुसार, पेशी तारीख बदली गई, उपरलेखन हुआ और दि. 10.8.15 के पूर्व दि. 7.7.15 को अपर आयुक्त ने अपना आदेश पारित किया, जिससे निगराकार को	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... ..... जिला .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

उनके न्यायालय में विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार मिल सकने योग्य अवसरों से वंचित होना पड़ा।

अतः मैं अपर आयुक्त भोपाल के प्रकरण क्र. 806/अपील/ b-13 में पारित आदेश दि. 7.7.15 तद्द्वारा निरस्त करता हूँ, एवं अपर आयुक्त को यह आदेश देता हूँ कि वे, इस आदेश की उन्हें सेसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर, निगरानीकार एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपने पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए, एवं प्रकरण के समस्त विचारयोग्य

[कृ. प. उ.

R. 3426-PBR/15 सीहोर-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बिन्दुओं एवं पहलुओं को विचार एवं विवेचना में लेते हुए, नए सिरे से, अपने न्यायालय का प्र.क्र. 806/अपील/12-13 पुनः खोलकर, बोलता हुआ आदेश पारित करें।	
	प्रकरण समाप्त।	
	अपर आयुक्त-भोपाल एवं पक्षकार सूचित हों।	
	दा. द. हो।	
	आदेश पारित।	
	1.12.15	

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.